

अन्तिम डिक्री मूल वाद पत्र  
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा**

पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 83/2017

हरबंस पुत्र नोपाराम जाति जाट साकिन मान्डूबास तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर।

— वादी

—:बनाम:—

1. नीमा देवी पत्नी नोपाराम | जाति जाट निवासी चक 8 बीएलडब्ल्यू पीलीबंगा
2. बद्री प्रसाद पुत्र नोपाराम | तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. जैतादेवी पुत्री नोपाराम पत्नि पृथ्वीराज जाति जाट साकिन चक 7 यूटीएस तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. जड़ियां पुत्री नोपाराम पत्नि रामूराम जाति जाट साकिन चक 7 यूटीएस तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. रेशमा देवी पुत्री नोपाराम पत्नि मोतीराम जाति जाट साकिन इन्द्रपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर।
6. इन्द्रा देवी पुत्री नोपाराम पत्नि सुरेन्द्र जाति जाट साकिन इन्द्रपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
7. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

— प्रतिवादीगण

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत खाता विभाजन**

—:डिक्री:—

दिनांक :- 21/01/2025

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री जसपाल सिंह दहिया प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मदन लाल पारीक एवं राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे आर.ए.एस. के लिये पेश होने पर तहसीलदार पीलीबंगा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के संबंध में रिपोर्ट पत्रांक 646 दिनांक 30.08.2024 से प्राप्त की गई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार वादी के नाम भूमि दर्ज रिकार्ड नहीं होने के कारण विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना सम्भव नहीं है। एवं वादी के पक्ष में प्रश्नगत रकबा के संबंध में पूर्व में किसी प्रकार की घोषणा भी नहीं की गई है इस लिए तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार वादी के नाम रकबा नहीं होने के कारण इस स्तर पर वाद पत्र में खाता विभाजन किया जाना संभव नहीं है वाद वादी अस्वीकार किया जाता है।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 21-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर  
पीलीबंगा